

राजस्थान आवासन मण्डल**आवश्यक सूचना**

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के सेक्टर-3, जोन-32 व सेक्टर-28 में मुख्यमन्त्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के फ्लैट हेतु खोली गई पंजीकरण योजना के पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट्स आवंटन हेतु लॉटरी 'वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली' द्वारा दिनांक 23.11.2022 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त फ्लैट्स आवंटन लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक, समय एवं स्थान
1	योग्य / अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	09.11.2022 सायं 6:00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.11.2022 सायं 6.00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	18.11.2022 सायं 6:00 बजे
4	आवंटन व वरियता निर्धारण लॉटरी का आयोजन	23.11.2022 प्रातः 11:00 बजे से
5	संबंधित कार्यालय	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

नोट: 1. यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण आवंटन लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। 2. लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। 3. आवेदकों द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि तक जमा कराई गई पूर्वग्रहण मांग राशि के घालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लॉटरी में शामिल किये जावेंगे। भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं होगा। 4. फ्लैट आवंटन हेतु योग्य आवेदकों की सूची मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर भी उपलब्ध रहेगी। 5. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर